UPBL010057942024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।

पीठासीन अधिकारी रामकृपाल (उच्चतर न्यायिक सेवा), (जे0ओ0 कोड–यू.पी. 02759)

सिविल अपील संख्या– 86/2024

1– जयराम यादव उम्र अनुमानित 80 साल पुत्र दशरथ साकिन–सुल्तानपुर (पलानी) परगना–सिकन्दरपुर गर्वी जिला–बलिया ।

–––अपीलार्थी/वादी

बनाम

1– शारदादेवी उम्र 61 साल पत्नी एकराम उर्फ एकरम साकिन–सुल्तानपुर (पलानी) परगना–सिकन्दरपुर गर्दी जिला–बलिया

–––प्रत्यर्थनी प्रथम पक्ष

2– दशरथ यादव उम्र तखमीनन 108 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रामनाथ यादव साकिन–सुल्तानपुर, परगना–सिकन्दरपुर गर्वी जिला–बलिया ।

–––प्रत्यर्थी द्वितीय पक्ष

3–सीताराम उम्र तखमीनन 75 साल

4– शिवदयाल उम्र तखमीनन 51 साल

पुत्रगण दशरथ साकिनान–सुल्तानपुर (पलानी) परगना–सिकन्दरपुर गर्वी जिला–बलिया

5– रामदयाल पुत्र दशरथ (मृतक दौरान मुकदमा)

5/1–धनन्जय कुमार यादव उम्र लगभग 34 साल

5/2–मंजीत कुमार यादव उम्र लगभग 31 साल

5/3–समरजीत यादव उम्र लगभग 26 साल

पुत्रगण राम दयाल

5/4–दसवती देवी उम्र लगभग 64 साल पत्नी स्व0 रामदयाल

साकिनान–सुल्तानपुर (पलानी) परगना–सिकन्दरपुर गर्वी जिला–बलिया

––– प्रत्यर्थी तृतीय पक्ष

(निर्णय दिनांक 10.08.2026)

1– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील विद्वान विचारण न्यायालय, सिविल जज (सी0डि0)बलिया वाद संख्या–193/2024 सीताराम बनाम शारदा देवी वगैरह में अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग2 पर पारित आक्षेपित आदेश दिनांक–21.09.2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत किया गया है। उक्त आदेश के द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र 6ग को निस्तारित करते हुये एक पक्षीय रूप से निरस्त कर

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.08.10 17:26:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

दिया है, जिसके विरूद्ध यह प्रकीर्ण अपील दाखिल की गयी है ।

2– अपीलार्थी/वादी द्वारा अपील में यह आधार लिया गया है कि यह कि आदेश व औपचारिक आदेश विचारण न्यायालय निर्मूल निराधार एवं गलत है ।विचारण न्यायालय ने Circumstances of the ease का देकर हम वादी सही नतीजा न निकाल कर मनमानी finding रेस्पान्डेन्ट तृतीय पक्ष का दरखास्त खारिज करने में सख्त गलती किया है। विचारण न्यायालय विधि एवं तथ्य की विवेचना सही न करके दरखास्त खारिज करने में सख्त गलती किया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से पूरी तरह से स्पष्ट है कि पिता हम वादी अपीलकर्ता रेस्पान्डेन्ट तृतीय पक्ष की उम्र 100 साल से अधिक रही है, उनकी सोचने समझने व देखने की शक्ति पूर्णतया नष्ट हो गयी है वे किसी भी प्रकार का अन्तरण स्वस्थ मन चित्त से नही कर सकते है। प्रतिवादिनी रिस्पान्डेन्ट द्वारा कथित हिब्बानामा दिनांक– 22.9.2023 किसी इम्पोस्टर को खड़ा करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को मिलाकर किया गया है जो एक void document है। पत्रावली में हम वादी अपीलान्ट ने पैरा 17 में स्पष्ट रूप से कहा है कि हम अपीलान्ट वादीका जन्म Date of vesting जमीदारी उन्मुलन एवं भूमि सुधार एक्ट के पहले का है और मुताविक कानूनन हम वादी अपीलान्ट अपने पिता की सम्पूण चल अचल सम्पत्ति में समान रूप से मालिक काविज रहे है व हैं उस पर बिना गौर किये हम वादी अपीलान्ट की दरखास्त खारिज करने में सख्त गलती किया है। पत्रावली पर उपलब्ध सबूत से स्पष्ट है कि हम फरीकैन एक ही मोरिस की सन्तान है और सम्पूर्ण मोरिस की उत्पन्न सम्पत्ति के Every inch of the Land पर समान रूप से काविज दाखिल है। प्रतिवादिनी रेस्पान्डेन्ट प्रथम पक्ष को हम वादी अपीलान्ट के कब्जा दखल से कथित हिब्बानामा के आधार पर व्यवधान पैदा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व सबूत से पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया केस हम वादी अपीलान्ट का रहा है। सुविधा की तुला हम वादी अपीलान्ट के पक्ष में रहा है और स्थगन आदेश खारिज होने से सख्त नुकसान हम वादी अपीलान्ट का है इसके विरुद्ध Finding देकर विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट की दरखास्त खारिज करने में सख्त गलती किया है । अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील को स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.09.2024 को निरस्त किये जाने का तर्क दिया गया।

3– अपीलार्थी/वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में फार्म सबूत 5ग1 से कागज सं0– 6ग/1 ता 6ग1/3 आलोच्य आदेश दिनांकित 21.09.2024 की सत्य–प्रतिलिपि व कागज संख्या–7ग1/1 ता 7ग/2 फार्मल आर्डर की सत्य प्रतिलिपि, फार्म सबूत 21ख से 22ख/1 ता 22ख/5 मुकदमा नं0–426/2024 जयराम बनाम दशरथ वगैरह के वाद पत्र की छाया प्रति, 22ख/6 ता 22ख/8 दद्धरण खतौनी दाखिल किया गया है।

4– प्रत्यर्थिनी/प्रतिवादिनी संख्या–1 व 2 की ओर से आपत्ति 14ग2 प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील बिल्कुल गलत खिलाफ असलियत व खिलाफ कानून के है । अपीलार्थी को कोई अधिकार अपील दाखिल करने का नहीं है। अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत करने का कोई उचित एवं न्याय संगत कारण स्पष्ट एवं

दर्शित नहीं किया है जो भी कारण प्रकट किया है वह नितांत गलत व निराधार है और ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके आधार पर अपीलार्थी के अपील को स्वीकार किया जा सके । हरगिज़ अपीलार्थी की उम्र 80 वर्ष नहीं है न ही प्रत्यर्थी संख्या–2 की उम्र 108 वर्ष का है और न ही प्रत्यर्थी संख्या–3 का उम्र 75 वर्ष का है और अपीलार्थी ने अपना व सभी अपीलार्थियों की उम्र को काफी अधिक होना दर्शित किया है तथा बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। हरगिज़ प्रत्यर्थी संख्या 2 बीमार नहीं रहता है न हीं किसी कथित बीमारी व वृद्धावस्था के कारण प्रत्यर्थी संख्या 2 के शारीरिक मानसिक स्थिति कमजोर हुई है और न ही प्रत्यर्थी संख्या–2 अपना लाभ हानि समझने में असमर्थ है और न ही मुझ प्रत्यर्थी संख्या–2 को बहला फुसलाकर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दस्तावेज हिब्बानामा दिनांक– 22/09/2023 को तहरीर कराया गया और न ही दस्तावेज हिब्बानामा इम्पोस्टर द्वारा हिब्बानामा किया गया है। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या–3 का जन्म कवल उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन एवं. भूमि सुधार अधिनियम लागू होने से पूर्व का नहीं है और न ही विवादित आराजियात में अपीलार्थी एवं रेस्पाण्डेंट तृतीय पक्ष का हक व हिस्सा है और न ही उनका कब्जा दखल रहा है और न है। विवादित आराजियत प्रत्यर्थी संख्या–2 का तनहा भूमिधरी का आरजी रहा है व है और उसका तनहा मालिक व काबिज प्रत्यर्थी संख्या–2 रहा । अपीलार्थी व प्रत्यार्थी तृतीय पक्ष प्रत्यर्थीगण 1 व 2 से अलग रहते हैं तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं तथा हम प्रत्यर्थी संख्या–2 से काफी दुर्व्यवहार करते हैं तथा अपीलार्थी व प्रत्यार्थीगण तृतीय पक्ष हम प्रत्यर्थी संख्या–2 को मारते–पीटते गाली गुप्ता देते रहे हैं व देते हैं जिससे प्रत्यर्थी संख्या–2 काफी उत्पीड़न व परेशान रहता है। प्रत्यर्थी संख्या –1 के पति की मृत्यु हो गयी है और वह प्रत्यर्थी द्वितीय पक्ष को साथ रखती है तथा प्रत्यर्थी द्वितीय पक्ष का काफी ख्याल रखती है प्रत्यर्थी संख्या–2 की सेवा सुश्रुषा काफी नेक नियति से करती है उसके व्यवहार व बात से प्रत्यर्थी संख्या–2 काफी प्रसन्न रहता है, उसके व्यवहार से प्रत्यर्थी संख्या– 2 ने अपना आराजी का हिब्बा करने का प्रस्ताव किया एवं प्रत्यर्थी सं0 –1 हिब्बा लेना स्वीकार किया इसलिए प्रत्यर्थी संख्या–2 अपने पूरे होश हवास में अपना नफा नुकसान बखूबी समझते हुए अपने स्वच्छ मन चित्त से दिनांक–22/09/2023 को दस्तावेज हिब्बानामा तहरीर करके उसको रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार रसड़ा बलिया के कार्यालय में करा दिया इसके पश्चात उसका मालिक व काबिज प्रत्यर्थी संख्या–1 है। प्रत्यर्थी संख्या–2 की उम्र वर्तमान समय में लगभग 87 वर्ष है तथा अपीलार्थी की उम्र लगभग 60 वर्ष है । हम प्रत्यर्थी संख्या–2 के सभी लड़कों का जन्म जिमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम लागू होने के काफी बाद हुआ है। प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–1 के हक में दस्तावेज हिब्बानामा तहरीर करने के बाद अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण तृतीय पक्ष बिल्कुल अपना गलत तौर पर अधिक उम्र बताकर गलत आधारों पर दावा दाखिल किए हैं जबकि उनके दावा में कोई वास्तविकता नहीं है। अपीलार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं है न ही सुविधा की तुला में है न ही विवादित आदेश दिनांक 21.09.2024 कायम रहन से अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण तृतीय पक्ष को कोई क्षति नहीं है । उपरोक्त कारणों अपील सब्यय निरस्त होने योग्य है ।

5– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद संख्या–193/2024 सीताराम यादव वगैरह बनाम शारदा देवी वगैरह दाखिल किया है तथा साथ में प्रार्थना–6ग2 दाखिल करके कथन किया गया है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हिब्बा मन्मुखी व स्थायी निषेधाज्ञा के बाबत दावा दाखिल किया है जिसकी डिग्री होने की पूरी आशा है तफसील वाद का में वर्णित आराजी का प्रतिवादी नं० 2 की स्वंय की पैदा करदगी नहीं रही है उक्त आराजी मोरिस की पैदा की हुयी है जिस पर प्रतिवादी नं0–2 का नाम बहैसियत कर्ता खानदान का नाम दर्ज रहा है पक्षकारण संयुक्त रूप से जोतते बोते रहे है और आज भी है । उक्त आराजी का प्रतिवादिनी नं० 1 द्वारा प्रतिवादी नं० 2 से अपने पक्ष में कथित हिब्बा दिनांक 22–9–23 कथित करके उक्त फर्जी व इम्पोस्टर के द्वारा तहरीर कर व कराके कब्जा दखल करके निर्माण कार्य करने पर प्रतिवादिनी नं0–1 आमादा है तथा हम वादीगण द्वारा बोयी गयी फसल को काटने में अवरोध पैदा कर रही है जब बैंक प्रतिवादी नं० 1 का उक्त आराजी पर कोई कब्जा दखल नहीं रहा है, न कथित हिब्बा के आधार पर कब्जा दखल उक्त आराजी संयुक्त कब्जा दखल में है, इस कारण बारिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा प्रतिवादी नं०–1 को वादीगण के संयुक्त कब्जा दखल में अवरोध करने से मना किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है । सुविधा का तुला भी वादीगण के पक्ष में है। उक्त आधार निवेदन किया गया है कि बारिये अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा दौरान मुकदमा तक प्रतिवादिनी नं० 1व 2 को मना किया जावे कि वे तफसील वाद पत्र में वर्णित आराजी को कथित हिब्बा दिनांक 22–9–23 के आधार पर हम वादीगण के संयुक्त कब्जा दखल से मुजाहिमत न करें, न कोई निर्माण कार्य करें , न कब्जा से बेदखल करे और न ऐसा कोई कार्य करे जिसस वादीगण जोतने व बोने व फसल काश्त करने में मुजाहिमत होवे, या उसके प्रकृति में परिर्वतन होवे ।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में वादीगण ने फार्म सबूत 8ग1 से 9ग1/1 ता 9ग1/4 उद्धरण खतौनी, 10ग1 परिवार रजिस्टर की नकल, 11ग1 खसरा,12ग1/1 12ग1/8 हिब्बानामा की प्रमाणित प्रतिलिपि, 12ग1 भू –चित्र ग्राम सुल्तानपुर, मुतल्लके पचावार दाखिल किया गया है ।

6– अपीलार्थी/वादी के प्रार्थना–पत्र 6ग 2 पर एक पक्षीय सुनवाई कर विचारण न्यायालय द्वारा वादी का प्रार्थना–पत्र 6ग2 निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध उपरोक्त प्रकीर्ण सिविल अपील दाखिल की गयी है ।

7– मैनें अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान को सुना तथा विचारण न्यायालय की पत्रावली, अपील मेमों एवं आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया।

8– अस्थाई व्यादेश के लिये मुख्य रूप से तीन बिन्दु देखे जाने आवश्यक है–

1–प्रथम दृष्टया मामला

2–सुविधा का संतुलन

3–अपूर्णनीय क्षति

9– सर्व प्रथम मामले में यह देखना है कि क्या अपीलार्थी/वादी को प्रस्तुत मामले में प्रथम दृष्टया वाद उपलब्ध था कि नहीं। प्रत्यर्थिनी/प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष

का तर्क है कि अपीलार्थी/वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है,क्योंकि प्रत्यर्थिनी /प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष का विवादित आराजियात पर जरिये हिब्बानामा दिनांकित 22–09–2023 के द्वारा उसका स्वामित्व व कब्जा है ।

10– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **दलपत कुमार बनाम प्रहलाद सिंह (ए0 आई0 आर0 1993 एस0 सी0 876)** में यह निर्णीत किया गया है कि प्रथम दृष्टया मामले को प्रथम दृष्टया स्वत्व मानकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। स्वत्व के सम्बन्ध में निर्णय विचारण के उपरान्त हो सकता है। प्रथम दृष्टया केस का तातर्प्य यह है कि विधि का कोई ऐसा सारवान प्रश्न सदभाव पूर्वक उठाया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा गुण–दोष के आधार पर अन्वेषण और विनिश्चय की आवश्यकता है। अपीलार्थी/वादी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादिनी/रिस्पान्डेन्ट द्वारा कथित हिब्बानामा दिनांक–22.9.2023 किसी इम्पोस्टर को खड़ा करके सब रजिस्ट्रार कार्यालय के कर्मचारियों को मिलाकर किया गया है जो एक बेकार दस्तावेजी है। वादी/अपीलान्ट का जन्म जमीदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार एक्ट के पहले का नहीं है और कानूनन हम अपीलान्ट अपने पिता की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति में समान रूप से मालिक काबिज रहे है व हैं। पत्रावली पर उपलब्ध सबूत से स्पष्ट है कि पक्षकार एक हीं पूर्वज के सन्तान है और पूर्वज द्वारा उत्पन्न की गयी समस्त सम्पत्ति के प्रत्येक हिस्से पर समान रूप से पक्षकार काबिज दखल में हैं और कथित हिब्बानामा के आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादिनी को वादी/अपीलांट के कब्जा दखल में व्यवधान करने का अधिकार नहीं है। अपीलार्थी /वादी द्वारा फार्म सबूत 8ग से उद्धरण खतौनी 9ग/1 लगायत 9ग/4 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित है कि श्रीमती शारदा देवी का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है । पत्रावली में हिब्बानाम कागज संख्या–12 ग1/1 लगायत 12ग1/9 है जिसके अवलोकन से विदित है कि प्रतिवादिनी/प्रत्यर्थिनी सं0–1 शारदा देवी के पक्ष में प्रत्यर्थी द्वितीयपक्ष दशरथ यादव द्वारा जरिये हिब्बानामा विवादित सम्पत्ति का स्वत्व का कब्जा दिये जाने का उल्लेख किया गया है और उक्त हिब्बानामा के आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादिनी प्रथमपक्ष का नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त हिब्बानामा के आधार पर प्रत्यर्थी/प्रतिवादिनी शारदा देवी का विवादित सम्पत्ति पर प्रथम दृष्टया स्वत्व व कब्जा दखल प्रकट होता है ।

11– माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **धनराजी बनाम निशा सिंह एवं अन्य 2013 (1) सी0 ए0 आर0 28 (इलाहाबाद)** में यह अवधारित किया गया है कि व्यादेश जारी करने के लिये मूलभूत आवयकता कब्जा है। यदि पक्षकर का कब्जा न हो तो अस्थाई व्यादेश जारी नहीं हो सकता है। इसी प्रकार माननीय इलाहाबाद उच्च

न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टान्त **शिव प्रकाश एवं अन्य बनाम अनिल कुमार एवं अन्य{2013(1) सी0 ए0 आर0 28 (इलाहाबाद)** में यह अवधारित किया गया है कि यदि विवादित स्थल पर अस्थाई व्यादेश प्राप्त करना है तो कब्जा साबित करना होगा, और यदि वह कब्जे में नहीं है तो वह व्यादेश प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

12– वर्तमान प्रकरण में विवादित सम्पत्ति अपीलार्थी/वादी का कब्जा है, यह अपीलार्थी/वादी साबित करने में असमर्थ रहा है, इसलिये प्रथम दृष्टया केस उसके पक्ष में नहीं है, जबकि प्रत्यर्थिनी/प्रतिवादिनी संख्या–1 प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रथम दृष्टया अपना स्वत्व व कब्जा दखल दर्शित करने में सफल रही है ।

13– अस्थाई व्यादेश के लिये यह आवश्यक है कि किसके पक्ष में सुविधा का संतुलन है। उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्था **दलपत कुमार** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि सुविधा के संतुलन का तातर्प्य है कि यदि व्यादेश का आदेश नहीं दिया गया तो एक पक्ष को होने वाली क्षति दूसरे पक्ष को होने वाली क्षति से अधिक होगी। जहॉ तक सुविधा के संतुलन का प्रश्न है, तो प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी पर अपना कब्जा दखल अपीलार्थी/वादी दर्शित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी दशा में सुविधा का संतुलन भी अपीलार्थी/वादी के पक्ष में नहीं है।

14– अर्पूणनीय क्षति से तात्पर्य ऐसी क्षति से है, जिसकी पूर्ति नहीं करायी जा सकती। उपरोक्त वर्णित विधि व्यवथा **दलपत कुमार** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि न्यायालय को यह भी समाधान कर लेना चाहिए कि यदि न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया तो उस व्यक्ति को जिसने अनुतोष की मॉग की है, की अपूर्णनीय क्षति होगी तथा उस व्यक्ति को व्यादेश के अतिरिक्त अन्य कोई अनुतोष उपलब्ध नहीं है, जिससे कि वह सम्भावित क्षति से स्वयं को सुरक्षित कर सके। चूॅकि वर्तमान मामले में विवादित आराजी पर अपीलार्थी/वादी अपना कब्जा दखल प्रथम दृष्टया साबित करने में असमर्थ रहा है। ऐसी दशा में अपीलार्थी/वादी के पक्ष में अस्थाई व्यादेश जारी नहीं किये जाने की स्थिति में अपीलार्थी/वादी को कोई अपूर्णनीय क्षति कारित की सम्भावना नहीं है जबकि अस्थाई व्यादेश जारी करने पर प्रत्यर्थिनी/प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष को अपूर्णनीय क्षति हो सकती है।

15– प्रकरण में उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के सम्बन्ध में अपीलार्थी/वादी इस प्रक्रम पर अपना प्रथम दृष्टया केस अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है, जबकि प्रत्यर्थिनी/प्रतिवादिनी प्रथम पक्ष प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपने पक्ष में प्रमाणित करने में सफल रही है ।

16– उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2024 में कोई विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है, इसलिए आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.09.2024 विधि एवं तथ्य के अनुकूल होने के कारण स्थिर रहने योग्य है। अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

17– प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल अपील संख्या–86/2024 जयराम यादव बनाम शारदा देवी व अन्य निरस्त की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा मूलवाद संख्या–193/2024 सीताराम यादव व अन्य बनाम शारदा देवी व अन्य में पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 21.09.2024 पुष्ट किया जाता है।

18– इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वान विचारण न्यायालय की मूल पत्रावली नियमानुसार अविलम्ब वापस भेजी जाये।

19– उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2026 को उपस्थित हों।

दिनांक–10.08.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)
अपर जनपद न्यायाधीश,
बलिया।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–10.08.2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश (ई0 सी0 एक्ट)
अपर जनपद न्यायाधीश,
बलिया।

टाईपकर्ता–मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक